ISSN 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer- Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory © ProQuest, U.S.A. Title Id: 715205

Centre for Research Studies
REWA (M.P.)

2022

www.researchjournal.in

अंक 37 हिन्दी संस्करण वर्ष - 19 जुलाई-दिसम्बर 2022

आई. एस. एस. एन. 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest
U.S.A. Title Id : 715205

अंक-37	हिन्दी संस्करण	वर्ष-19	जुलाई - दिसम्बर 2022

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी, सेवानिवृत आचार्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी
arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर, कुलपति, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल
rs_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत, आचार्य, डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर
drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह, आचार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव, सेवानिवृत आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
anjali_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला, सेवानिवृत्त आचार्य, कांगड़ा हिमाचंल प्रदेश
bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना, सह प्राध्यापक, अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी
drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना, आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश
drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया, सह प्राध्यापक, इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान
pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. मृदुल जोशी, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
dr_mriduljoshi@yahoo.com
13. डॉ. शैलजा दुबे, प्राध्यापक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल
shailjadubey70@yahho.in
14. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव, आचार्य, शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान
dr21pramila@gmail.com
15. डॉ. जयशंकर शाही, आचार्य, अलवर राजस्थान
jayshankarshahi@gmail.com
16. डॉ.एन. पी. त्रिपाठी , सेवानिवृत्त आचार्य, रीवा मध्य प्रदेश
17. डॉ. राजेश भट्ट, एच. एन. बी. केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड
rajeshbhatt11@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन–

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत हैं।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग–अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक,
- मोबाइल नं., ई–मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50–100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

researchjournal97@gmail.com,
researchjournal.journal@gmail.com

शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -		
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय
186/1, विन्ध्य विहार कॉलोनी
लिटिल बैम्बीनोज स्कूल कैम्पस
रीवा- 486001 (म.प्र.)
दूरभाष- 7974781746
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

समाज की मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई प्रारंभ से परिवार ही रहा है। देश के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सबसे पहले परिवार जैसी बुनियादी संस्थाओं के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। समाज के विकास के लिए परिवार का संतुलित विकास अति महत्वपूर्ण है। अत: हमें यदि देश का संपूर्ण एवं संतुलित विकास करना है तो हमें परिवार नामक बुनियादी संस्था पर सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच कोई भी भेदभाव ना करें और यह हम अपने पुत्रों को आवश्यक रूप से समझाएं और उनके क्रियाकलापों में शामिल भी करवाएं। आज भी पुरानी मान्यता के जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि औरत को कोई आजादी नहीं मिल सकती, वह अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं, वह अकेले कहीं घूम-फिर नहीं सकती हैं, लेकिन इन मूल्यों को आज का युवा मानने से इनकार करता है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मकान में जो महत्वपूर्ण स्थान दीवालों का का होता है, समाज में वही महत्व लड़कों की शिक्षा का है। लेकिन घर बनता कैसे है? घर के आधार में कौन हैं? घर के आधार में हमारी पुत्रियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, अर्थात उनका संबंध जड़ से है। समाज में अगर हमारी जड़ ही कमजोर हो गई तो हमारा घर या मकान बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकता है। इस सामाजिक संदर्भ को यथार्थ में समझने की आवश्यकता है।

पक्षपात की हद तो तब हो जाती है जब छोटे छोटे कार्यों में हमें भेदभाव दिखता है। कुछ लोगों ख्याल है कि लड़की पराया धन होती है, उसे कौन सी नौकरी करनी है। इसलिए कुछ मां-बाप लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और यह भेदभाव हमारे व्यवहार में खिलाने-पिलाने में पहनाने-उढ़ाने में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यह सरासर अन्याय है। ईश्वर ने लड़के और लड़कियों को एक जैसा मस्तिष्क दिया है और आज लड़कियां बेहतर परिणाम लाकर यह सिद्ध भी कर रही है।

लड़कियां तो मां-बाप के घर कुछ ही दिन रहती है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण पर गहराई से ध्यान दें, तभी हम एक सशक्त समाज की संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे बच्चों का ट्रस्टी बनाया है इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे न्याय के साथ सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करें क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसी शक्ति है, एक ही आत्मा है। अत: हमें उन्हें विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का मूलभूत उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना हैं। महिला सशक्तिकरण समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना है, क्योंकि वे रचनाकार होती हैं। अगर आप उन्हें सशक्त करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, प्रोत्साहित करें, यह समाज के लिए बेहतर है। महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं

जिनसे जीवन-यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती है। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल-जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर ही निर्भर है। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती है। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी हैं कि जहाँ महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वहाँ समाज का विकास अवरूद्ध हुआ है। सृष्टि की रचना, बच्चों की शिक्षा, परिवार की परवरिश के रूप में महिला की भूमिका पुरूष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती है। अतः स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ तक भारत का संबंध हैं "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। वहां देवताओं का वास होता है। इस आदर्श के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पश्चिमी स्त्री की तुलना में गौरव का अनुभव कर सकती हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में,धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, पवित्रता का आदर्श गंगा में, यहाँ तक कि सृष्टि सृजन का आदर्श जगद् जननी के रूप में हमें केवल भारत में ही देखने को मिलता हैं।

(डॉ. अखिलेश शुक्ल)
प्रधान सम्पादक

अनुक्रमणिका

01 वीर सावरकर: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय चरित्र 09
अरुण श्रीवास्तव

02 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान 15
राजेश चन्द्र पालीवाल

03 डॉ. लोहिया का सांस्कृतिक चिन्तन: रामायण मेला योजना के विशेष सन्दर्भ में 20
सुधा गुप्ता

04 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का समाजशास्त्रीय अध्ययन (आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) 25
भूरी सिंह, अतुल कुमार

05 भारतीय जीवन में शिवोपासना का धार्मिक महत्व 30
अशुतोष शुक्ल

06 महात्मा गाँधी : महिला विकास के प्रति दृष्टिकोण 39
सीमा श्रीवास्तव

07 महिला नेतृत्व के साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन) 44
कोमल पांडे, अखिलेश शुक्ल

08 महिला अपराधिता पुनर्वास एवं जेल व्यवस्था 53
गजानन मिश्र

09 घरेलू हिंसा: वर्तमान समय की गहन समस्या व समाधान 60
अलका रानी

10 भारतीय अर्थव्यवस्था और वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँ: एक विश्लेषण 66
बिन्ध्याचल साह

11 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ 78
सिद्धार्थ मिश्र

12 वैश्वीकरण का सामाजिक- आर्थिक प्रभाव 82
अजय सिंह गहरवार, अवनीश सिंह, महानन्द द्विवेदी

13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में स्टार्टअप योजना 92
संगीता कुँभारे

14 स्टार्ट अप योजना एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं का सशक्तिकरण:एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 101
कृष्ण कुमार पटेल, एस.एम.मिश्रा

15 सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या एवं समाधान 108
गायत्री देवी, आर. पी. गुप्ता

16 मध्यप्रदेश में कृषि विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां 115
सुनीता सोलंकी

17 पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य (नईगढ़ी-पिपराही के संदर्भ में) 121
वंदना मिश्रा

18	शहडोल संभाग में पर्यटन विकास का पारिस्थितिकी पर प्रभाव **बी. पी. सिंह, सविता पटेल**	127
19	समाज और संस्कृति की विकास यात्रा (भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में) **दिव्या मिश्रा**	133
20	शिव ब्रात है? **अशुतोष शुक्ल**	137
21	श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्ष योग **प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी**	143
22	जैवविविधता और मानवीय क्रियाकलाप (पश्चिमी घाट के विशेष संदर्भ में) **सुनील बाबू विश्वकर्मा, आकृति खरे**	147
23	पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को किस तरह प्रभावित करती हैं **मंजरी अवस्थी**	152
24	भारतीय संस्कृति में स्वदेशी खेलो की प्रासंगिकता का महत्व **ममता**	156
25	भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन **पुरूषोत्तम कुमार साहू, अविनाश कुमार लाल**	166
26	लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) **राधा मिश्रा , अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	171
27	महिला एवं बाल विकास योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव (जिला सतना के विशेष संदर्भ में) **विमलेश द्विवेदी, अखिलेश शुक्ल**	179
28	लैंगिक असमानता के कारण एवं समाधान का समाजशास्त्रीय अध्ययन **राधा मिश्रा, अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	188
29	महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	194
30	बाल मानवाधिकार एवं भारत के समक्ष चुनौतियां **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	198
31	भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ : महिलाओं के विशेष संदर्भ में **कुमुद श्रीवास्तव**	203
32	पंचायतीराज अधिनियम का प्रभाव महिला नेतृत्व एवं सामाजिक जागरुकता (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	210
33	अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के अधिकार: भारत के संदर्भ में **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	117
34	सल्तनकालीन महोबा **महेन्द्र मणि द्विवेदी, रानू चौरसिया**	223

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या एवं समाधान

• गायत्री देवी
•• आर. पी. गुप्ता

सारांश- सार्वजनिक वितरण योजना सरकारों द्वारा जारी योजनाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लक्षित जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने मिलावटी खाद्यान्न फर्जीकार्ड कदाचरण, कालाबाजारी, मापतौल और भ्रष्टाचार समस्या है किन्तु इन समस्याओं का समाधान चुनौती के रूप में स्वीकार कर संचार कार के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया।

मुख्य शब्द - मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, डाटा डिजिटाइजेशन, राशनकार्ड, भ्रष्टाचार, कम्प्यूटरीकरण

प्रस्तावना- सार्वजनिक वितरण योजना केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी योजनाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्रियान्वयन लक्षित जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर है। भारत सरकार ने गरीबों में ध्यान केन्द्रित करते हुये जून 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंग के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान सहकारी उपभोक्ता भण्डार नियंत्रित कपड़े की बिक्री की दुकान साफ्टकोक डिपों सुपर बाजार और मिट्टी की तेल की दुकान को सम्मलित किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत नियमित अंतराल पर उचित मूल्य दुकान के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि प्रदान किया जाता है।

सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य अधिकारियों के निर्देशन में सुव्यवस्थित चल रहा है। इस प्रणाली के विभिन्न योजनाएं उपभोक्ता तक उचित तरीके से सुविधाएं उपलब्ध

• शोध छात्रा, वाणिज्य अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, शोध केंद्र शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
•• प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा, (म.प्र.)

कराई गई सतना जिले में मध्य प्रदेश शासन के वितरण प्रणाली के विभिन्न कार्यक्रम का क्रियान्वयन सही तरीके से रहा है।

मुख्यमंत्री अन्यपूर्णा योजना- मार्च 2016 में प्रदेश में 92 लाख परिवार एवं 3.88 करोड़ जनसंख्या को खाद्यान्न, नमक शक्कर एवं कैरोशीन का वितरण प्रारम्भ किया गया। प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न खाद्य सुरक्षा अधिनियम सुरक्षा के अंतर्गत 2 रुपया प्रति किलों गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलो चावल पात्र परिवारों को प्रदान किया गया। सतना जिला में कुछ पात्र परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ एवं चावल प्रदान किया गया।

पात्र परिवार- अन्तयोदय अन्य योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार भूमिहीन, खेतिहर मजदूर रिक्साठेला चालक अनाथ, घरेलू कामवाली महिलाएं, कुली, हम्मार, बीड़ी क्षमिक बुनकर, शिल्पी, विकलग, एड्डस पीड़ित अनुसूचित जाति, जनजाति, मछुआरे, वाहन चालक पात्र परिवार कहलाते हैं।

डाटा डिजिटाइजेशन - खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी हितग्राहियों का डाटा डिजिटाइज्ड किया जा चुका है।

ई-राशनकार्ड:- पात्र परिवारों को ई-राशनकार्ड जारी किया जा चुका है। जिसमें पात्र परिवार एवं सदस्य की आईडी नम्बर नाम पात्रता श्रेणी उचित मूल्य की दुकान का नाम कोड क्रमांक का नाम का उल्लेख किया जाता है।

कैरोसीन और दाल का वितरण- सतना जिले के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को कैरोसीन का वितरण किया जाता है तथा तुअर की दाल को पढ़ते हुए भाव को नियंत्रित करने के लिये शहरी क्षेत्रीय में 100 रुपये प्रति किलो भी दर से दाल का वितरण भी किया जाता है।

एस.एम.एस. द्वारा सूचना- पात्र परिवारों का सूचना देने के लिए एस.एम.एस. के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्रदान की जाने वाली सामग्री की जानकारी प्रदान की जारी है। इस व्यवस्था के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ एवं पारदर्शी बन जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन- केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा यह प्रणाली संचालित की जाती है। एफ.सी.आई. के माध्यम से केन्द्र सरकार में निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं-

खरीद, भण्डारण अनाज के परिवहन आदि। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान राशन कार्ड जारी करना उचित मूल्य दुकानों के काम-काज का पर्यावेक्षण करना है।

राशन कार्ड की भूमिका- एक देश एक राशनकार्ड योजना खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूरे देश में 30 जून 2020 तक लागू कर दिया गया था इस योजना के तहत किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान से राशन ले सकता है। सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण की सभी दुकानों को इंटरनेट से सार्वजनिक वितरण की सभी दुकानों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। लाभार्थी किसी भी दुकान से अनाज ले सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर दोहरीकरण से बचा जा सके इसके लिये एक सेंट्रल रिपोजेटरी बनाई गई है। प्रत्येक राशन कार्ड को एक विशिष्ट पहचान दी गई है। जिससे यह लाभ हुआ है कि फर्जी राशनकार्ड बनना बन्द हो गये हैं। यदि कोई फर्जी राशनकार्ड बनवाने की कोशिश करेगा तो वह फर्जी राशन कार्ड नहीं बनवा पायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपयोगिता- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं के लिए यह बहुत उपयोगी प्रणाली है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली न केवल खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के कीमतों को नियंत्रित रखती है बल्कि उसके सामाजिक वितरण को भी सुनिश्चित करने में मदद करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है इसके द्वारा कुपोषण की समस्या से निपटा जा सकता है। इस प्रणाली के द्वारा यदि उचित मूल्य पर पोषण युक्त अनाज उपलब्ध कराया जायेगा तो कुपोषण के विभिन्न रूपों जैसे चाइल्ड स्टंटिग, चाइल्ड वेस्टिंग बच्चों व महिलाओं में ऐनीमिया चाइल्ड अन्डरवेट से छुटकारा पाया जाता है। गरीबी से मुक्ती आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर दूर की जा सकती है।

समस्याएं- वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कई प्रकार की समस्याओं एवं कमजोरियों से जूझ रहा है।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके द्वारा अभी तक आपेक्षित मात्रा में गरीबी को कम नहीं किया जा सका है अर्थात् निर्धन लोगों को सीमित मात्रा में ही लाभ मिल पाया है। अनुमान के अनुसार निर्धन लोग अपनी आवश्यकताओं का 25 प्रतिशत भाग ही उपयोग कर पा रहे हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अभी आपेक्षित मात्रा में लोगों का समावेश नहीं हो पाया है क्योंकि संस्थागत रूप में भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं विशेषकर खाद्यान्न की गुणवत्ता सही नहीं होती है। इसके कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है गुणवत्ता के कमी के कारण खाद्यान्न खरीदते समय गुणवत्ता के मानकों को टाट में रखा जाता है और भण्डारण की एक ये समस्या रहती है भण्डारण में व्यय समस्याओं का निराकरण करना बहुत मुश्किल है।
- सरकार द्वारा खरीदे गये अनाज में फफूँदी एवं कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं क्योंकि भण्डारण की उचित व्यवस्था नहीं है। तिरपाल एवं पन्नी आदि को अनाज के जिससे अनाज विशैला हो जाता है। भण्डारण के अभाव में 18 लाखटन अनाज बर्बाद हो जाता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लोकप्रियता को लेकर क्षेत्रीय विषमताएं बहुत है। दक्षिण भारत में यह प्रणाली लोकप्रिय है जब उत्तर भारत में नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति और भी खराब है। 1990 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क अधिक फैलाया गया था। लेकिन परिणाम उचित नहीं मिला।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रिसाव की समस्या काफी है। जिसका मुख्य काम व्याप्त भ्रष्टाचार है। अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 48 प्रतिशत का रिसाव है।

प्रभाव- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विभिन्न समस्या एवं कमजोरियाँ व्याप्त होने के कारण सामाजिक, आर्थिक स्वस्थ एवं अन्य कई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। एक अध्ययन के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 1 रुपये मूल्य का अनाज लोगों को उपलब्ध कराने की लागत लगभग 3.65 रुपये है। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ का कारण है। इसके कारण निजी बाजार पर प्रभाव पड़ता है। गरीबों को मजदूरी में ऊँची कीमतों पर खुले बाजर ये अनाज खरीदना पड़ता है।

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता-** सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्याप्त समस्याओं को दूर करना अति आवश्यक है तथा निम्न बिन्दुओं पर सुधार लाना आवश्यक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जैम योजना सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली में योजना बद्ध तरीके से लागू कर दिया जाना चाहिए।
- लाभार्थी का जन धन खाता, आधार संख्या, मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाना चाहिए बोगस राशन कार्डों की समस्या से छुटकारा के लिए आधारकार्ड को लिंकित किये जाना चाहिए। बल्कि लाभार्थियों से जुड़ा हुआ उच्च गुणवत्ता युक्त सूचना आधार भी तैयार करना होगा बापू योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के आधार कार्ड और पी.ओ.एस. मशीनों के आधार पर पी.डी.एस. की वस्तुएं प्राप्त होती है। इस योजना से कई तकनीकी समस्याएं हल किया जा सकता है।
- सरकार को पी.डी.एस. की वस्तुओं के अधिग्रहण के प्राथमिक स्तर से लेकर समस्त प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना चाहिए।

शासकीय जिम्मेदारियाँ- पीडीएस को विनियमित करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारें साझा करती हैं। जबकि केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद, भण्डारण, परिवहन और थोक आवंटन के लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकारें उचित मूल्य की दुकानों के स्थापित नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को इसे वितरित करने की जिम्मेदारी रखती हैं। राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के आवंटन और पहचान, राशन कार्ड जारी करने और एफपीएस के कामकाज की निगरानी और निगरानी सहित परिचालन जिम्मेदारियों के लिए भी जिम्मेदार हैं।

उचित मूल्य की दुकान- एक सार्वजनिक वितरण की दुकान, जिसे उचित मूल्य की दुकान एफपीएस के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की सार्वजनिक प्रणाली का एक हिस्सा है जो गरीबों को रियायती मूल्य पर राशन वितरित करती है। स्थानीय रूप से इन्हें राशन के रूप में जाना जाता है दुकानें और सार्वजनिक वितरण की दुकानें और मुख्य रूप से गेहूँ, चावल और चीनी को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचते हैं जिसे इश्यू प्राइस कहा जाता है। अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी बिक्री हो सकती है। सामान खरीदने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। ये दुकानें केंद्र और राज्य

सरकार की संयुक्त सहायता से पूरे देश में संचालित की जाती हैं। इन दुकानों के सामान काफी सस्ते होते हैं लेकिन औसत गुणवत्ता के होते हैं। अधिकांश इलाकों, गाँवों, कस्बों और शहरों में अब राशन की दुकानें मौजूद हैं। भारत में 5.5 लाख (0.55 मिलियन) से अधिक दुकानें हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुष्परिणाम- भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके दोषों के बिना नहीं है। लगभग 40 मिलियन गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के कवरेज के साथ, एक समीक्षा ने निम्नलिखित संरचनात्मक कमियों और गड़बड़ी की खोज की–

- राशन की दुकानों में उपभोक्तों को घटिया गुणवत्ता वाला खाद्यान्न मिलने के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
- दुष्ट डीलर भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त अच्छी आपूर्ति को घटिया स्टॉक के साथ स्वैप करते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले एफसीआई स्टॉक को निजी दुकानदारों को बेचते हैं।
- खुले बाजार में अनाज बेचने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी कार्ड बनाने वाले अवैध उचित मूल्य दुकान मालिकों का पाया गया है।
- कई एफपीएस डीलर अपने द्वारा प्राप्त न्यूनतम वेतन के कारण कदाचार, वस्तुओं के अवैध मोड़, होल्डिंग और कालाबाजारी का सहारा लेते हैं।
- कई कदाचार सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बहुत से गरीबों के लिए दुर्गम और दुर्गम बना देते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी खाद्य असुरक्षा होती है।
- विभिन्न राज्यों में पीडीएस सेवाओं को प्रदान की जाने वाली स्थिति और वितरण के लिए परिवारों की पहचान अत्यधिक अनियमित और विविध रही है। आधार यूआईडीएआई कार्ड के हालिया विकास ने प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के साथ-साथ पीडी सेवाओं की पहचान और वितरण की समस्या को हल करने की चुनौती ली है।
- एफपीएस का क्षेत्रीय आवंटन और कवरेज असंतोषजनक है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।
- कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं है कि कौन से परिवार गरीबी रेखा से ऊपर या नीचे हैं। यह अस्पष्टता पीडीएस प्रणाली में भ्रष्टाचार और नतीजों के लिए व्यापक गुंजाइश देती है क्योंकि कुछ लोग जो लाभ के लिए होते हैं वे सक्षम नहीं होते हैं।

कई योजनाओं ने पीडीएस से सहायता प्राप्त लोगों की संख्या में वृद्धि की है, लेकिन यह संख्या बहुत कम है। एफपीएस की खराब निगरानी और जवाबदेही की कमी ने बिचौलियों को प्रेरित किया है जो गरीबों के लिए स्टॉक का एक अच्छा हिस्सा उपभोग करते हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किन परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे की सूची में शामिल किया जाना चाहिए और कौन से नहीं। इसके परिणामस्वरूप वास्तव में गरीबों को बाहर रखा जाता है जबकि अपात्रों को कई कार्ड मिलते हैं। गरीबी से त्रस्त समाजों, अर्थात् ग्रामीण गरीबों में पीडीएस और एफपीएस की उपस्थिति के बारे में जागरुकता निराशाजनक रही है। एम परिवार को सौंपा गया स्टॉक किश्तों में नहीं खरीदा जा सकता

है। यह भारत में पीडीएस के कुशल कामकाज और समग्र सफलता के लिए एक निर्णायक बाधा है। गरीबी रेखा के नीचे के कई परिवार या तो मौसमी प्रवासी श्रमिक होने के कारण या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने के कारण राशन कार्ड प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। कई परिवार पैसे के लिए अपने राशन कार्ड गिरवी रख देते हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रमों की योजना और संरचना में स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप गरीबों के लिए कई कार्ड तैयार किए गए हैं। कार्ड के समग्र उपयोग के बारे में सीमित जानकारी ने गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को नए कार्ड के लिए पंजीकरण करने से हतोत्साहित किया है और परिवार के सदस्यों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऐसे परिवारों द्वारा कार्ड के अवैध निर्माण में वृद्धि की है।

सुझाव- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं-

- भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए सतर्कता दस्ते को मजबूत किया जाना चाहिए, जो करदाताओं के लिए एक अतिरिक्त खर्च है।
- विभाग के कार्मिक प्रभारी को स्थानीय स्तर पर चुना जाना चाहिए।
- ईमानदार व्यवसाय के लिए लाभ का मार्जिन बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे में बाजार प्रणाली वैसे भी अधिक उपयुक्त हैं।
- एफसीआई और अन्य प्रमुख एजेंसियों को वितरण के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए, जो कि ऐसे एजेंसी के लिए एक लंबा आदेश है जिसक पास ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक प्रोत्साहन नहीं है।
- फर्जी और डुप्लीकेट कार्डों को खत्म करने के लिए बार-बार जांच और छापेमारी की जानी चाहिए, जो फिर से एक अतिरिक्त खर्च है और फुलप्रूफ नहीं है।
- नागरिक आपूर्ति निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उचित मूल्य की दुकाने खोलनी चाहिए।
- उचित मूल्य डीलर कभी-कभार ही दुकान के सामने ब्लॉक-बोर्डों में उपलब्ध दर चार्ट और मात्रा प्रदर्शित करते हैं। इस पर अमल किया जाना चाहिए।
- कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि दाल प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है इसलिए चावल/गेहूँ के अलावा अरहर (तूर) जैसी दालों को भी पीडीएस प्रणाली में शामिल किया जाना चाहि।

मार्च 2008 में जारी योजना आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, कुल मिलाकर, केंद्रीय पूल द्वारा जारी किए गए सब्सिडी वाले अनाज का केवल 42 प्रतिशत ही लक्ष्य समूह तक पहुँचता है। कूपन, वाउचर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ट्रांसफर आदि जारी करके जरूरतमंदों और वंचितों को दिए जाने वाले फूड स्टैम्प्स दे किसी भी दुकान या आउटलेट से सामान खरीद सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा कि राज्य सरकार तब टिकटों के लिए किराने की दुकानों का भुगतान करेगी। लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो 2004 में सत्ता में आया, ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर फैसला किया और एजेंडा खाद्य और पोषण सुरक्षा था। इसके तहत सरकार की खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम

डीएस को मजबूत करने की योजना थी। हालांकि, वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में सीएमपी में प्रस्तावित विचार के विपरीत किया और फूड स्टाम्प योजना के विचार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारत के कुछ जिलों में इसकी व्यवहार्यता देखने के लिए इस योजना को आजमाने का प्रस्ताव दिया है। सीएमपी में सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि यदि यह व्यवहार्य है तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करेगी, यदि खाद्य टिकटों को पेश किया जाता है तो यह एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगी। लगभग 40 अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएसी को खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ आगाह किया है क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बजाय उन्होंने आगे बढ़ने और खाद्य टिकटों और अन्य वैकल्पिक तरीकों के साथ प्रयोग करने की सलाह दी और पीडीएस में खामियों की ओर इशारा किया। अर्थशास्त्रियों का यह समूह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टेथ्टस्टिकल इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, हार्वर्ड, एमआईटी, कोलंबिया, प्रिंसटन, लंदन स्कूल ऑफ इकालनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जैसे संस्थानों से है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और वारविक विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उचित मूल्य की दुकानों को गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक को आवंटित नहीं किया जा सकता है।

उपसंहार- देश में निर्पेक्ष्य गरीबी को कम करने और यह जनता में पोषण स्तर को बढ़ाने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अभूतपूर्व योगदान रहा है। समय-समय में इस प्रणाली को कई समस्याओं ने चुनौतियाँ दी हैं किन्तु सरकार के प्रयासों से इसमें हमेशा एक नमीयता का संचार हुआ। यह सच है कि वर्तमान में भी कई समस्याओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमजोरियों को जन्म दिया है किन्तु इसमें विद्यमान सभी समस्याएं एवं चुनौतियों का निराकरण योग्य है तथा सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु उचित कदम उठाने होंगे जिसमें सूचना एवं संचार क्रांति की अग्रणी भूमिका रहेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. http://www.mp.boardonline.com
2. अग्रवाल एन.एल. कृषि का अर्द्धतंत्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी
3. मिश्रा डॉ. जे.सी. दत्त एवं डॉ. जे.पी. (2010) भारतीय अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
4. एम.के. मल्लिक, पुस्तक- ई कॉमर्स की अनिवार्यता, प्रकाशक एवं मुद्रक/एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस, आगरा-282 002 (उ.प्र.)